दिनांक 11/01/2008 को मेसर्स झिलमिली अण्डरग्राउण्ड माईन कोल उत्खनन क्षमता 0.3 मिलियन टन/वर्ष से 0.5 मिलियन टन/वर्ष के सम्बंध में की गई लोक सुनवाई का विवरण :–

मेसर्स झिलमिली अण्डरग्राउण्ड माईन कोल उत्खनन क्षमता 0.3 मिलियन टन/वर्ष से 0.5 मिलियन टन/वर्ष के सम्बंध में लोक सुनवाई हेतु किये गये आवेदन के परिपेक्ष्य में दिनांक 08/12/2007 को स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, अंबिकावाणी एवं दिनांक 08/12/2007 को राष्ट्रीय समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाषित की जाकर दिनांक 11/01/2008 को लोक सुनवाई की तिथि निष्चित की गई। उक्त अवधि में परियोजना के सम्बंध में किसी प्रकार की षिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 11/01/2008 को मेसर्स झिलमिली अण्डरग्राउण्ड माईन क्षमता विस्तार कोल उत्खनन क्षमता 0.3 मिलियन टन/वर्ष से 0.5 मिलियन टन/वर्ष हेतु बालक प्राथमिक शाला, पटेलपारा, ग्राम–सोरंगा, तह. बैकुंठपुर , जिला –कोरिया में प्रातः 11:30 बजे से श्री के. के. अग्रवाल, अपर कलेक्टर के पर्यवेक्षण एवं अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। उपस्थित लोगों की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम प्रबंधन की ओर से श्री एन. आर. होल्कर द्वारा प्रस्तावित उद्योग के सम्बंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। उसके पष्चात अपर कलेक्टर, बैकुंठपुर, जिला कोरिया द्वारा उपस्थित जन समुदाय से परियोजना बावत् विचार रखने हेतु कहा गया।

उपस्थित ग्रामवासियों, जन–प्रतिनिधियों द्वारा उद्योग प्रबंधन के समक्ष रखे गये विचार तथा उद्योग प्रबंधन द्वारा दिया गया जवाब निम्नानुसार है :–

1. टेमरी ग्राम में प्राथमिक षाला भवन पंचायत भवन की बाउण्ड्रीवाल कराया जाय। पाईप द्वारा पानी की सप्लाई की जावे। नाली का पानी खेत में न जाये। निराकरण किया जाय। ग्राम के गरीबों की दवाई की जाय। लाईट हेतु पोल तार की सुविधा दिया जावे। पाण्डवपारा टैक्सी स्टैण्ड में षौचालय बनवाया जावे। टेमरी ग्राम का देवालय, तालाब का सौन्द्रीकरण किया जाय। सोरंगा रोड से भण्डारपारा सड़क निर्माण कराया जावे। खोड़ ग्राम रोड भण्डारपारा रोड की पुलिया का निर्माण कराया जाय। एस.ई.सी.एल. द्वारा सामुदायिक भवन दो कमरे का बनवाया जावे। झिलमिली माईन का उत्पादन दो लाख से 5 लाख किया जावे हमें कोई आपत्ति नहीं है। (श्रीमती सन्तरी देवी, सरपंच ग्राम–खोड़)
   डेव्हलपमेंट का जो कार्य है वह कम्पनी में प्रस्ताव पारित होने के बाद किया जाता है। और सामुदायिक विकास के लिये जो फण्ड आता है। वह एस.ई.सी.एल. मुख्यालय से आता है। संचालन समिति द्वारा निर्णय लेकर यह कार्य किये जाते हैं। यह प्रस्ताव उद्योग प्रबंधन द्वारा एस.ई.सी.एल. मुख्यालय बिलासपुर, अग्र कार्यवाही हेतु भेजा जावेगा।

2. टेमरी मोड़ में पानी की समस्या है। पट्टे की जमीन को एस.ई.सी.एल. द्वारा किया गया है। पंचायत में ट्यूब वेल लगाया जाय। रोड में लाईट लगवाया जाय। टेमरी व खोंड़ पंचायत में सामुदायिक भवन दिया जाय। जहां लाईट, पानी नहीं है। वहां

लाईट, पानी दिया जाये। जो एस.ई.सी.एल. कम्पनी में काम नहीं करते उन्हें भी एस.ई.सी.एल. हास्पिटल में चिकित्सा सुविधा दी जाये। मांग पूरा करने बाद हमें क्षमता बिस्तार से कोई आपत्ति नहीं है। (श्रीमती फूल कुंवर, जनपद सदस्य, ग्राम–खोंड़)
सोरंगा चौक में हैण्डपम्प चालू किया जायेगा। जो भी सामुदायिक विकास के कार्य हैं। वह संचालन समिति के निर्णय अनुसार किया जायेगा।

3. क्षमता बिस्तार करें लेकिन नियम के अनुसार करें। टेमरी, खोंड़, सोरंगा में 8 कि.मी. के दायरे में पर्यावरण संरक्षण करें। सड़क का निर्माण किया जाये। सामुदायिक भवन जनता का हक है। उसे देना होगा। कम से कम 50 प्रतिषत नियम का पालन किया जाये। जिसकी जमीन गई है। उसका दोहन न किया जाय। उसको समुचित लाभ दिया जाय। आवास, पर्यावरण नीति का पालन किया जाय। कटोरा साईडिंग में पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित है। वहां के लोग दमा के मरीज हैं। यहां के लोगों के साथ छलावा न हो। तीनों गांवों टेमरी, सोरंगा, खोंड़ को गोद लिया जाय, विकास किया जाय। कोयले के ट्रकों में एक–दो में पोलीथीन लगा रहता है। सभी ट्रकों में नहीं लगाया जाता है। (षेर बहादुर सिंह, ग्राम–टेमरी, पाण्डोपारा)
जो भी सामुदायिक विकास के कार्य हैं। वह संचालन समिति के निर्णय अनुसार किया जायेगा। कटोरा साईडिंग में स्प्रिंकलर चालू किया गया है। सभी ट्रकों में तारपोलिन ढका जाता है।

4. चावल, गेहूं, षक्कर नहीं मिलता है। दिया जाये।(श्रीमती देव कुवंर, ग्राम–सोरंगा)
यह राज्य षासन से सम्बंधित है। अपर कलेक्टर महोदय द्वारा सम्बंधित सरपंच को इस सम्बंध में निर्देष दिये हैं।

5. मेरे जमीन के प्रकरण का निराकरण करें। (श्रीमती रामपती)
षासन के नियमानुसार किया जायेगा।

6. क्षमता बिस्तार से क्षेत्र का विकास होगा। एस.ई.सी.एल. का दायित्व है कि क्षेत्र का विकास जैसे–षिक्षा, चिकित्सा आदि व्यवस्था दें। क्षमता बिस्तार से काई आपत्ति नहीं है। (श्री दयाराम मिश्रा, वी.एम.एस. अध्यक्ष, पाण्डवपारा)
क्षेत्र का पूर्ण विकास संचालन समिति के निर्णय अनुसार किया जायेगा।

7. नौकरी नहीं दिया गया है। मुझे नौकरी दिया जाय। (श्री बहादुर, ग्राम–सोरंगा)
नौकरी षासन के नियमानुसार दिया जायेगा।

अपर कलेक्टर, बैकुंठपुर, जिला–कोरिया द्वारा अंत में लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों को लोक सुनवाई के विवरण की जानकारी दी जाकर कार्यवाही समाप्त घोषित की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अंबिकापुर

अपर कलेक्टर
बैकुंठपुर, जिला–कोरिया